From

Labour Commissioner, Haryana,
Chandigarh.

To

1. Additional Labour Commissioner (NCR) Gurugram.
2. Additional Director, (IS&H)
3. Joint Labour Commissioner.
4. Joint Director, IS&H, HQ & Gurugram
5. All Deputy Directors, IS&H and IH in the State
6. All Deputy Labour Commissioners in the State.
7. All Assistant Directors, IS&H, IS&H (C) and IH in the State
8. All Assistant Labour Commissioners in the State.
9. Welfare Officer (W) in the State.

No. SPL-9 Dated: 31.03.2020

Subject:-- **Minutes of the meeting held at 01.00 PM on 30th March 2020 held under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister, Haryana through Video Conference.**

Please find attached herewith the minutes of meeting held at 01.00 PM on 30th March 2020 in Main Committee Room, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh held under the Chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister, Haryana through Video Conference.

During the meeting certain directions were given by Hon'ble Deputy Chief Minister, Haryana to mitigate the present crisis arose due to the spread of COVID-19 and to deal with this challenging situation in an effective way. All the Officers are directed to ensure compliance of these directions in letter and spirit.

Joint Labour Commissioner, HQ
for Labour Commissioner, Haryana

Endst. No. SPL-10 Dated: 31.03.2020

A copy is forwarded to the following:-

1. PS to Hon'ble Dy. CM for information of Hon'ble Deputy Chief Minister, Haryana.
2. PS to Hon'ble MOS (L&E) for information of Hon'ble Minister of State (Labour & Employment), Haryana.
3. PS to PS (L) for information of Principal Secretary, to Govt. Haryana, Labour Department.

Joint Labour Commissioner, HQ
for Labour Commissioner, Haryana

Scanned with CamScanner

माननीय उप मुख्य मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता तथा माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की उपस्थिति में उद्योग विभाग व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 30.03.2020 को हुई वीडियो कोन्फ्रसिंग बारे।

कोविड–19 की वजह से लॉकडाउन के चलते बन्द हुए औद्योगिक संस्थानों एवं वाणिजिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पलायन को रोकने तथा समय पर उन्हें वेतन प्रदान कराये जाने हेतु माननीय उप मुख्य मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता तथा माननीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री की उपस्थिति में आज दिनांक 30.03.2020 को उद्योग व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक वीडियो कोन्फ्रसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारियों को निम्न दिशा निर्देश दिये गये :–

- श्रम विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना हेड क्वार्टर/स्टेशन श्रम आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं छोडेंगें।
- श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं वाणिजिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहें/ रह रहे श्रमिकों के मध्य उचित समाजिक दूरी तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करें, ताकि इस माहमारी को फैलने से रोका जा सके।
- सभी उप श्रम आयुक्त तथा उपनिदेशक (औ0 सुरक्षा एवं स्वा0) दुकानों, कारखानों तथा वाणिजिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को 31.03.2020 तक का वेतन बिना कटौती किये श्रमिकों के बैंक खातों में सीधा जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- सभी अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को उनके निवास स्थान पर जरूरत अनुसार राशन उपलब्ध हो।
- सभी उपरोक्त श्रम अधिकारियों को विस्थापित श्रमिकों के अनौपचारिक समूहों के मुखिया का ब्यौरा, उनके पते एवं टेलिफोन सहित मुख्यालय को भिजवायें एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त मुखियाओं से सर्म्पक साध कर उन्हें यह विश्वास दिलाये कि राज्य सरकार आपके हितों की रक्षा सुनिश्चित कर रही है तथा आपको पलायन करने कि कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे पलायन करके कुछ दूर निकल भी गये हैं तो कृप्या अपने कार्यस्थानों पर लौट आयें।
- राज्यों में विभिन्न स्थानों पर फसें श्रमिकों को जिला प्रशासन एवं समाजिक संस्थाओं के सहयोग से आस–पास के शैल्टर होम में रखा जाए।
- सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि कोई भी मकान मालिक किराया ना देने की स्थिति में मकान छोडने पर मजबूर नहीं करेगा तथा मकान मालिक एक महीने का किराया न मागें।

Scanned with CamScanner

- भवन एवं निमार्ण स्थलों पर मौजूद श्रमिकों को प्रर्याप्त खाना, दवाईयां और सेनीटाइजेसन को भी सुनशिचत किया जाए। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन से सहयोग लिया जाए तथा सामाजिक संस्थाओं को भी सहयोग देने बारे प्रोत्साहित किया जाए।
- विभाग द्वारा चलाई जा रही रियायती कैन्टिनों में आवश्यकता अनुसार फूड पैकेट तैयार करवाकर श्रमिकों को उनके शैल्टर होम/आवास स्थानों पर वितरित करवाने की व्यवस्था की जाए।
- सभी श्रम अधिकारी अपने जिलों के परिवहन महाप्रबंधक से तालमेल करके रोडवेज की बस द्वारा मंडी से अनाज, फल एवं सब्जियां विभिन्न प्रतिष्ठानों/शैल्टर होम में उपस्थित श्रमिकों तक पहुचाने का काम करें। इस संदर्भ में वित्तिय सहयोग हेतु संबंधित जिला उपायुक्त से संर्पक करें।
- सभी अधिकारी अपनी दैनिक प्रगति रिर्पोट निर्धारित प्रोर्फामा में सांय 5 तक भरकर ई–मेल के माध्यम से श्रम आयुक्त, हरियाणा को भेजना सुनशिचत करें।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त, उस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए जिसके कार्यक्षेत्र से विस्थापित श्रमिकों के पलायन की सूचना मिलती है।
- फैक्ट्री विंग और लेबर विगॅ के सभी अधिकारी एक टीम के रूप में और एक दूसरे के समन्वय में काम करेंगें।

माननीय उप मुख्य मंत्री हरियाणा तथा माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री द्वारा वीडियो कोन्फ्रसिंग की बैठक में उपस्थित सभी अधिकरियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

Scanned with CamScanner